कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश

परिपत्रांक 21-32 /अधि0–अर्बन बैंक/ दिनांक : लखनऊ 3-11 अक्टूबर, 2016

समस्त सचिव/मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंक उ0प्र0।

विषय— उ0 प्र0 के नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों में सी0बी0एस0 कार्यवाई किये जाने एवं अन्य विषय के सम्बन्ध में।

भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अवगत कराया गया है कि—

1. प्रदेश के 11 नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों द्वारा सी0बी0एस0 प्रणाली लागू नहीं की गयी है जबकि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा इस सम्बन्ध में सहायता भी प्रदान की जा रही है।
2. बैंकों द्वारा अपने ग्राहकों के सम्बन्ध में के0वाई0सी0 पूर्ण किया जाना विधिक बाध्यता है। भारतीय रिजर्व बैंक एवं आडिटर्स द्वारा काफी प्रकरणों में के0वाई0सी0 पूर्ण न किये जाने की स्थिति से अवगत कराया जा रहा है जो विधिक प्राविधानों का उल्लंघन है।
3. नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों द्वारा जो एम0आई0एस0/डाटा भारतीय रिजर्व बैंक अथवा निबन्धक कार्यालय को उपलब्ध कराया जाता है उसकी गुणवत्ता की स्थिति ठीक नहीं है। बैंक वित्तीय संस्थान होते है जिसमें डाटा क्वालिटी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है।
4. भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार बैंकों को किसी भी प्रकार का फ्राड होने की स्थिति में उसकी रिपोर्ट निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार देनी होती है। देखा जा रहा है कि कतिपय प्रकरणों में बैंकों द्वारा इसमें ढिलाई बरती जा रही है।
5. नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंकों में कारपोरेट गवर्नन्स का पालन सहकारी समिति अधिनियम, नियमावली, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, भारतीय रिजर्व बैंक के दिशा–निर्देशों के अनुसार किया जाना आवश्यक है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों में कारपोरेट गवर्नन्स की स्थिति पर भी चिन्ता प्रकट की गयी है जो स्वीकार्य नहीं है।

नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंक वित्तीय संस्थान है जिसमें उपरोक्त बिन्दुओं का अक्षरशः परिपालन विधिक आवश्यकता है इसके परिपालन में किसी भी प्रकार की ढिलाई क्षम्य नहीं होगी एवं दोषियों के विरूद्ध कड़ी कारवाई सम्पादित की जायेगी।

उपरोक्त के परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि आप उपरोक्त बिन्दुओं का परिपालन सुनिश्चित करायें एवं इन बिन्दुओं को प्रबन्ध समिति एवं प्रबन्ध समिति की उप–समिति के समक्ष भी प्रस्तुत किया जाए।

(किशन सिंह अटोरिया)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।

क्रमशः..........2

पत्रांक 2\ 32 /अधि0--अर्बन बैंक दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-- अधोलिखित को आवश्यक कार्रवाई हेतु।

1. समस्त जिला सहायक आयुक्त एवं जिला सहायक निबन्धक उ0 प्र0, को इस निर्देश के साथ कि आप भी अपने स्तर से निरीक्षण के समय इस बिन्दुओं पर विशेष ध्यान दें।
2. समस्त संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक उ0 प्र0 को इस निर्देश के साथ कि निरीक्षण के समय उपरोक्त बिन्दुओं का परिपालन सुनिश्चित कराने पर विशेष ध्यान दें।
3. अध्यक्ष उत्तर भारत अर्बन बैंक फेडरेशन लि0 6 पार्क रोड लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित की उपरोक्त के सम्बन्ध में शेष 11 बैंकों में सी0बी0एस0 लागू करायें एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में भी अपने सदस्य बैंकों को अवगत करायें जिससे कि प्रदेश में नगरीय/प्राइमरी सहकारी बैंक अपेक्षित प्रगति करते हुए अपने उद्देश्यों को पूर्ण कर सकें।
4. क्षेत्रीय निदेशक भारतीय रिजर्व बैंक, 8--9 विपिन खण्ड, गोमती नगर लखनऊ।

(पी0के0अग्रवाल)
वित्तीय सलाहकार,
सहकारिता, उ0प्र0,
लखनऊ।